U;k;ky; HkwiizcU/k vf/kdkjh ,o insu
jktLo vihy iz'kklfud vf/kdkjh chdkusj

v'kksd lkxok vkj0,0,l0

vihy la0 09@2023

1. कयुम पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
2. सलीम पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
3. फारूख पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
4. हसन पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
5. आबिद पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
6. नदीम पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
7. रजिया पिसरान मैदा बानो पत्नी साबीर पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासी वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।

vihykFkhZx

cuke

1. इकबाल पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
2. बाबूलाल पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
3. लियाकत पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
4. सतार पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
5. हनीफ पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
6. खातुन पिसरान गफूर जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।

7. मैना पत्नी जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
8. आरीफ पुत्र जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
9. सलामू पुत्र जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
10. खलील पुत्र जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
11. सेठी पुत्र जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
12 तालिम पुत्र जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
13. अंजू पुत्री जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
14. जमीला पुत्री जमाल जमाल जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
15. मैना पत्नी नबाब पुत्री सदीक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
16. मदीना पत्नी तामिल पुत्री सदीक जाति काजी निवासी वार्ड न0 43 सरदारशहर जिला चूरू ।
17. हुसैन पुत्र रूकनदीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
18. कासम पुत्र रूकनदीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
19. सलीम पुत्र आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
20. युसुफ पुत्र आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
21. बिलाल पुत्र आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
22. मदीना पुत्री आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
23. बलकेश पुत्र आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
24. सोनु पुत्र आमीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला

25. मंजू पत्नी मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर
26. नूरजां पुत्री मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर
27. सकील पुत्र मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर
28. रहीसा पुत्री मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर
29. रसीदा पिसरान मुस्ताक नाबालिग जरिये माता मंजू पत्नी मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
30. मुबारिक पिसरान मुस्ताक नाबालिग जरिये माता मंजू पत्नी मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
31. मुस्तफा पिसरान मुस्ताक नाबालिग जरिये माता मंजू पत्नी मुस्ताक जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 35 सरदारशहर जिला चूरू ।
32. मदनलाल पुत्र सुखाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 25 सरदारशहर
33. रामनिवास पुत्र सुखाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 25 सरदारशहर
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर

jLikMs.V

35. राबिया पत्नी अलीशाह पुत्री रूकनदीन जाति काजी निवासीगण वार्ड न0 सरदारशहर जिला चूरू ।

xk.k jLikMs.V

mifLFkr%& 1. श्री खुशहाल आर्य अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री रोशन अली अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh ljnkj'kgj
vkn'k fnukd 03-02-2023 d fo:} vihy
vUrxr /kkjk 223 jkt LFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—10.10.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय सरदारशहर के प्रार्थना पत्र सं0 167/2022 अनुवान कयूम आदि बनाम ईकबाल आदि में निर्णय दिनांक 03.02.2023 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 36.03 बीघा, वाके रोही ग्राम भोलूसर तहसील सरदारशहर में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 15 ता 16 के दादा व रेस्पो0 7 ता 14 के पड़दादा के विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 दर्ज करते हुए अपीलांट के नाना रूकनदीन के वादगत कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया व रेस्पो0 स0 1 ता 6 व 15 ता

16 के दादा रेस्पो0 सं0 7 ता 14 के पड़दादा के वारिसान के नाम से 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिस बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,188 व 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए दावा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट अभिभाषक ने अपनी अपील के समर्थन में बहस में निवेदन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 36.03 बीघा, वाके रोही ग्राम भोलूसर तहसील सरदारशहर में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 15 ता 16 के दादा व रेस्पो0 7 ता 14 के पड़दादा के विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 दर्ज करते हुए अपीलांट के नाना रूकनदीन के वादगत कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया व रेस्पो0 स0 1 ता 6 व 15 ता 16 के दादा रेस्पो0 सं0 7 ता 14 के पड़दादा के वारिसान के नाम से 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया । अपीलांट के नाना रूकनदीन की मृत्यु के पश्चात विरासतन ईतकाल सं0 179 दर्ज किया गया जिसमें अपीलांट की माता मेदाबानो व गोण रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 35 राबिया का नाम छोडकर अन्य वारिसानो के नाम विरासतन ईतकाल दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलांट की माता मेदाबानो व गोण रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 35 राबिया स्व0 रूकनदीन की जाईन्दा पुत्रिया होने से उनका वादगत कृषि भूमि में अन्य वारिसों के सामान हक हिस्सा बनता था । रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 17 ,18 तथा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 19 ता 31 के वारिसान आमीन शाह व बिस्मिल्ला के द्वारा वादगत कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने का गलत फायदा उठाकर वादगत कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 32 व 33 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.11.99 को विक्रय कर दिया ।

वादगत कृषि भूमि ख0न0 7 तादादी 36.03 बीघा वर्तमान ख0न0 17 तादादी 9.1400 हैक्टयर में स्व0 रूकनदीन का 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा है । जिसमें अपीलांट/वादी की माता मैदाबानो का 1/5 हिस्सा विरासतन बनता था उसी अनुसार अपीलांट/वादी का वादगत कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा विरासतन बनता था तथा गोण रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 35 का भी वादगत कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा विरासतन बनता था । अपीलांट/वादी वादगत कृषि भूमि में अपने 1/10 हिस्से की घोषणा अधीनस्थ न्यायालय में करवाने का कानूनी अधिकारी है, तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराने का भी अधिकारी था । जिसका दावा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया । अपीलांट/वादी अपनी

माता मैदाबानो पुत्री रूकनदीन के जीवनकाल से ही वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि को उनके साथ काबिज होकर काश्त करते रहे है व मेदा बानो की फोतगी के बाद भी अपनी पूर्वजा से विरासतन हिस्सा भूमि को अपनी खातेदारी हिस्सा के मुताबिक सतत कब्जा रहकर मौके पर शान्तिपूर्वक बिना किसी विध्न बाधा के काश्त करते आ रहे है । इसी प्रकार रेस्पो0/प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । अपीलांट/वादी द्वारा इस दौरान राजस्व रेकार्ड की नकल हासिल करने की कोई आवश्यकता नही रही जब अपीलांट/वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि में अपने हिस्से की केसीसी बनवाने पर हल्का पटवारी से मिला व नकले हासिल की तो ज्ञात हुआ की वादगत कृषि भूमि के रेकार्ड में अपीलांट/वादी व इसकी माता का नाम नही है की जानकारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया गया । उसके बाद रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 6, 8,16 व 17 की ओर से गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वाद वादी का खारिज कर दिया गया ।

रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा यह अंकित करवाया गया कि अपीलांट/वादी के नाना रूकनदीन के फोत होने पर अपीलांट/वादी की माता मैदाबानो द्वारा स्वय ने उक्त भूमि में अपना हिस्सा प्रतिफल के बदले अपने भाईयों के पक्ष में छोडा था जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 179 शेष वारिसानो के नाम से खातेदारी में दर्ज हुआ, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नही किये केवल मौखिक साक्ष्य से इसे प्रस्तुत किया गया । राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के पश्चात रूकनदीन की पत्नी व पुत्र आमीन शाह व बिश्मिला ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 32 व 33 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.99 के द्वारा विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण सं0 186 दर्ज हुआ जो अपीलांट/वादी के हक अधिकारों के मुकाबले प्रभाव शुन्य माना । विक्रय पत्र दिनांक 08.11.99 को निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही की है ओर ना ही नामान्तरकरण सं0 186 को भूराजस्व अधिनियम में विघमान प्रावधानो में चूनोती दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी माना की दावा दायर करने की समयावधि 3 वर्ष की होती है जो कि अन्दर मियाद कोई कार्यवाही नही की गयी है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिकारी नियम के प्रावधानों के अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के लिये मियाद संबंधी कोई बाध्यता नही होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में माना की अपीलांट/वादी मुस्लिम समुदाय से आते है ओर उतराधिकारी मामले में मुस्लमानो पर मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) लागू होता

है । मुस्लिम कानून अधिनियम 1937 की धारा 2 के तहत जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार की अवधारणा मुस्लिम विधि में नही हे मुस्लमानों में सम्पति का अधिकार केवल पिता की मृत्यु के पश्चात ही उत्पन होता है । जबकि अपीलांट/वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष में सम्पति नाना की सम्पति है । मुस्लिम विधि शरियत के अनुसार पिता के जीवनकाल में वारिसान का हक हिस्सा नही होता इस प्रकरण मे भी पूर्वज की मृत्यु के पश्चात ही अपना हक हिस्सा अपीलांट/वादी ने मांगा है तथा रेस्पों0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में इस तथ्य का उल्लेख कहीं भी नही किया गया है ना ही कोई इस बाबत आपत्ति उठाई गयी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मुस्लिम विधि की गलत व्याख्या करते हुए रेस्पो/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर अपीलांट का दावा दिनांक 03.02.2023 को खारिज किया जो न्यायोचित नही है । अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 को निरस्त करवाया जावे ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 36.03 बीघा, वाके रोही ग्राम भोलूसर तहसील सरदारशहर में स्थित है । वादगत कृषि भूमि की खातेदारी रूकनदीन वल्द मिश्रीशाह व भीखे शाह वल्द मदेशाह कोम फकीर के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज थी जिसमें खातेदार भीखे शाह का स्वर्गवास होने के पश्चात जरिये विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 10.07.74 को रूकनदीन वल्द मिश्रीशाह के नाम 1/3 हिस्सा एवम भीखे शाह के वारिसान गफुर, सदीक व मु0 बाली के नाम 2/3 हिस्सा खातेदारी इस आधार पर दर्ज किया गया कि खातेदार रूकनदीन वल्द मिश्रीशाह ने अपने जीवनकाल मे उक्त कृषि भूमि लिखित बंटवारे के आधार पर अपना 1/3 हिस्सा 12.01 बीघा अपने हिस्से में रखते हुए शेष 24.02 बीघा भूमि को स्व0 भीखे शाह के वारिसान के हक में रखते हुए लिखित बंटवारे तत्कालिन विधिक प्रावधानो के अनुसार दिनांक 03.06.74 को तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 जो स्वंय रूकनदीन ने भीखे शाह के वारिसानो ने आपसी सहमति से प्रस्तुत किया था ।

अपीलांट/वादी के नाना रूकनदीन के स्वर्गवास होने के पश्चात विरासतन ईतकाल सं0 179 दर्ज किया गया था उस समय अपीलांट/वादी की माता मैदाबानो स्वयं मौजुद थी अपीलांट/वादी की माता ने स्वयं ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्रतिफल के बदले अपने भाईयों के पक्ष में छोडा था उसी आधार पर नामान्तरकरण सं0 179 दर्ज हुआ था । सन 1974 के पश्चात यह दावा अपीलांट/वादी की ओर से दिनांक 30.05.2022 को 47 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात प्रस्तु किया गया है जबकि मियाद अधिनियम के अनुसार दावा 3 वर्ष की

अवधि के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकता है । नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 03.07.74 व नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 04.07.98 को दर्ज तस्दीक किया गया है जिसकी अपील धारा 75 भूराजस्व अधिनियम में अनुज्ञात है जो वादीगण के द्वारा की जा सकती है । अपीलांट/वादीगण के द्वारा नामान्तरकरण की अपील करने का अधिकार हासिल है किन्तु आदिनांक तक अपीलांट/वादीगण द्वारा ऐसा नही किया गया है । वादगत कृषि भूमि पर अपीलांट/वादी का आदिनांक तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है ओर ना ही खातेदारी मिली है जबकि रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का अपने पिता गफुर के समय से सन 1974 से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट के नाना रूकनदीन पुत्र मिश्री शाह के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण सं0179 दिनांक 04.07.98 को रूकनदीन के वारिसान बिस्मिल्ला, आमीन शाह, हुसैन शाह व कासम शाह के नाम खातेदारी दर्ज होने के पश्चात आमीन शाह व बिश्मिला ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 32 व 33 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गयी है जिसे अपीलांट/वादीगण के द्वारा आदिनांक तक विक्रय पत्र दिनांक 18.11.99 को चुनौति नही दी गयी है । अगर विक्रय पत्र बिना अधिकार के व विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर किया गया है तो उसको निरस्तीकरण की कार्यवाही सिविल न्यायालय में की जा सकती थी जो कि अपीलांट/वादी की माता मैदाबानों के द्वारा नामान्तरकरण सं0 179 व विक्रय पत्र दिनांक 18.11.99 को कभी भी चुनौति नही दी गयी । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 36.03 बीघा, वाके रोही ग्राम भोलूसर तहसील सरदारशहर में स्थित है जो रूकनदीन वल्द मिश्रीशाह व भीखे शाह वल्द मदेशाह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी । भीखे शाह की मृत्यु के बाद वादगत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 10.07.1974 को दर्ज हुआ जिसमें रूकनदीन व भीखे शाह के वारिसान के द्वारा तहसीलदार सरदारशहर में एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें प्रार्थीगणो द्वारा बंटवारा रूकनदीन के 1/3 हिस्सा व भीखे शाह के वारिसान के नाम 2/3 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर रूकनदीन, गफुर व सदीक के अगुंठा निशान है । इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार सरदारशहर के द्वारा नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 10.07.1974 दर्ज किया गया । उक्त नामान्तरकरण पर रूकनदीन द्वारा अपने जीवन काल में कोई अपील किसी भी न्यायालय में नही की ओर ना ही

अपने अगुंठा निशान के संबंध में भी कभी कोई उजर या ऐतराज नही किया । रूकनदीन की फोतगी के बाद भी दर्ज नामान्तरकरण सं0 179 दिनांक 04.07.98 के बाद भी कभी भी रूकनदीन के वारीसान द्वारा सन 1974 के नामान्तरकरण या उक्त प्रार्थना पत्र के गलत होने संबंधी कोई ऐतराज किया हो पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य या सबुत उपलब्ध नही है ।

रूकनदीन वल्द मिश्री शाह की मृत्यु के पश्चात विरासतन ईतंकाल सं0 179 दिनांक 04.07.98 दर्ज हुआ उक्त नामान्तरकरण में रूकनदीन के वारिसान बिशमिल्ला, आमीन शाह, हुसैन शाह व कासम शाह के नाम दर्ज हुआ । उक्त नामान्तरकरण में रूकनदीन की पुत्रिया राबिया व मैदा बानो का नाम दर्ज नही हुआ । उक्त नामान्तरकरण की अपील या दावा या कोई आपत्ति मैदा बानो द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी नही उठाई गयी । उक्त नामान्तरकरण के दर्ज होने के बाद बिशमिल्ला व आमीन शाह ने अपने जीवनकाल मे ही अपने खातेदारी का हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 32 व 33 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.99 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण सं0 186 दर्ज हो गया । जिसकी भी आपत्ति मैदा बानो द्वारा नही की गयी । चूंकि अब मैदाबानो की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 88 व 188 का प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया गया । वादगत प्रकरण में ईतकाल सं0 59 दिनांक 10.07.74 की अपील रूकनदीन के द्वारा उसी समय सक्षम न्यायालय में नही की गयी ओर अपीलांट जो कि रूकनदीन के दोहिते है के द्वारा इस बाबत लगभग 48 वर्ष पश्चात रूकनदीन एवम मैदा बानो की फोत के बाद अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया । रूकनदीन स्वयं वादगत कृषि भूमि का खातेदार था उसको अपने हिस्से तक सम्पुर्ण अधिकार प्राप्त था । अपीलांट/वादी तब पेदा ही नही हो रखे थे । रूकनदीन ने अपने जीवनकाल में कभी भी नामान्तरकरण के संबंध में कोई ऐतराज नही किया ओर ना ही फोतगी के बाद जाईन्दा वारिसानो ने ऐतराज किया । रूकनदीन की पुत्री मैदा बानो जो जाईज पुत्री थी उसके द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नही की गयी । अतः अपीलांट/वादीगण का उपरोक्त नामान्तरकरण को गलत बताना ओर दिनांक 01.06.2022 को धारा 88 व 188 का दावा करना न्यायोचित नही है ।

वादगत प्रकरण में अपीलांट/वादी के द्वारा विरासतन नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 10.07.74 की अपील सक्षम न्यायालय के यंहा भूराजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(डी) में की जानी चाहिये थी व ईतकाल सं0 179 दिनांक 04.07.98 का दावा सक्षम न्यायालय के यहा किया जाना चाहिये था किन्तु अपीलांट/वादी के द्वारा दोनो प्रकरणो को शामिल कर एक दावा अधीनस्थ न्यायालय के यहां पेश

किया गया जो कानूनी प्रक्रिया सही नही होने के कारण तथा नामान्तरकरण सं0 59 पर रूकनदीन की कोई आपत्ति व नामान्तरकरण सं0 179 पर मैदा बानो की कोई आपत्ति नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार कर अपीलांट/वादी का दावा खारिज कर दिया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है ।

5. अतः उक्त किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2023 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 10.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(v'kkd lkxok½
HkkicU/k vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy ikf/kdkjh
chdkusj